RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3679/2026

Kanaram S/o Sh. Kalaram, Aged About 41 Years, Resident Of Gwad Ps Khinwara District Pali Presently 39/7 Punjalal Nathulal Ki Chal Naroda Memko Ahmadabad Ps Cherkotra Ahmadabad Gujrat.
(Lodged In Sub Jail Bali)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Hitendra Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/03/2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता (483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) पुलिस थाना फालना, जिला पाली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 12/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 376(2)(एन), 384 भारतीय दंड संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है। पीड़िता 35 वर्षीय विवाहिता महिला है। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त से सगाई की बात चली थी तो आपस में मिलना जुलना था, अधिक से अधिक सहमति से संबंध बनाने का मामला हो सकता है। कोई वीडियो वायरल करना पुलिस द्वारा अपने अनुसंधान में नहीं पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के मोबाइल को जब्त नहीं किया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ् व पीड़िता के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान का अवलोकन किया गया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

6. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **कानाराम पुत्र कलाराम,** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

182-GauravG/-